

विवरणिका

सत्र 2020-21



नैक द्वारा मूल्यांकित

दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अनुपश्चात (बुलन्दशहर) उ०प्र० फोन : 05734-275450

(सम्पूर्ण चौ० चाण सिंह विश्व विद्यालय, फेरठ)

Web Site : www.dpbsspgcollege.in E-mail : mails_principaldpbs@rediffmail.com

श्रद्धेय रखो श्री बलजीत सिंह जी



श्रद्धेय रखो श्री दुर्गा प्रसाद जी



‘सा विद्या या विमुक्तये’



शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं,
वीणापुस्तक धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्।
हस्ते स्फटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां,
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्।

विषयानुक्रमणिका

| | |
|--|-------|
| ४ प्रबन्ध समिति | 2 |
| ५ संक्षिप्त परिचय | 3-4 |
| ६ शिक्षक एवं शिक्षणेतर मण्डल | 5-10 |
| ७ अन्य विभागीय प्रभारी | 10 |
| ८ महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम | 11 |
| ९ समितियाँ एवं शिक्षणेतर गतिविधियाँ | 11-16 |
| १० छात्रावास एवं नियम | 16-17 |
| ११ पुस्तकालय के नियम | 17 |
| १२ शिष्टाचार सम्बन्धी नियम | 18 |
| १३ प्रवेश सम्बन्धी नियम, प्रक्रिया, अमान्य बोर्ड/ वि.वि. के नाम एवं अवैधता | 19-31 |
| १४ छात्र सहायता, ध्यान देने योग्य एवं परिचय पत्र | 31-32 |
| १५ विषय एवं उनके कोड | 33-34 |
| १६ फाउंडेशन कोर्स | 35 |
| १७ क्वालिफाइंग कोर्स | 36 |
| १८ शुल्क तालिकायें | 37-39 |

महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के सम्मानित सदस्यगण

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 1. श्री अजय गर्ग | : | अध्यक्ष |
| 2. डॉ० सुधीर कुमार | : | उपाध्यक्ष |
| 3. डॉ० के०पी० सिंह | : | सचिव |
| 4. श्री गिरीश चन्द्रा | : | संयुक्त सचिव |
| 5. श्री के०पी० सिंह | : | कोषाध्यक्ष |
| 6. श्री सुनील गुप्ता | : | आंतरिक लेखा परीक्षक |
| 7. श्री एस०पी०एस० तौमर | : | सदस्य |
| 8. कमाण्डर एस०जे० सिंह | : | सदस्य |
| 9. कु० मनिका गौड | : | सदस्य |
| 10. डॉ० यू०के० झा (प्राचार्य) | : | पदेन सदस्य |
| 11. डॉ० श्रीमति चन्द्रावती | : | (शिक्षक प्रतिनिधि) सदस्य |
| 12. श्री सुनील कुमार (गैर शिक्षक प्रतिनिधि) | : | सदस्य |

दुर्गाप्रसाद बलजीत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अनूपशहर

जनपद - बुलन्दशहर (उप्र०) 203390

Website : www.dpbsspgcollege.in E-mail : mails_principal@rediffmail.com

संक्षिप्त-परिचय

गंगा के रम्य तट पर स्थित एवं छोटी काशी के नाम से विख्यात प्राचीन नगर अनूपशहर में दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1965 में “एंग्लोवैटिक एजूकेशनल एसोसियेसन” द्वारा की गयी थी। गत 55 वर्षों में महाविद्यालय ने पाठ्यक्रम विस्तार एवं संरचनात्मक विकास दोनों ही दृष्टियों से तीव्र गति से विकास किया है।

प्रारंभ में महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर केवल विज्ञान संकाय के विषयों की पढ़ाई होती थी, लेकिन सन् 1984 के बाद से अब तक कई नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं, जो कि वर्तमान युग की चुनौतियों के अनुरूप विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। वर्तमान में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:-

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम | स्तर | प्रारंभ होने का वर्ष | अवधि (वर्ष) | वित्त पोषित/स्व-वित्त पोषित |
|---------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. | बी०एस-सी० | स्नातक | 1965 | 3 | वित्त पोषित |
| 2. | बी०ए० | स्नातक | 1984 | 3 | वित्त पोषित |
| 3. | एम०ए० (संस्कृत) | स्नातकोत्तर | 1992 | 2 | वित्त पोषित |
| 4. | एम०एस-सी० (भौतिकी) | स्नातकोत्तर | 1992 | 2 | वित्त पोषित |
| 5. | एम०एस-सी० (रसायन) | स्नातकोत्तर | 2001 | 2 | स्व-वित्त पोषित |
| 6. | बी०सी०ए० | स्नातक | 2001 | 3 | स्व-वित्त पोषित |
| 7. | बी०ए८० | स्नातक | 2002 | 2 | स्व-वित्त पोषित |
| 8. | बी०कॉम० | स्नातक | 2005 | 3 | स्व-वित्त पोषित |

उपर्युक्त पाद्यक्रमों के अतिरिक्त सत्र 2003 से रसायन विभाग में एक शोध केन्द्र स्थापित है, जहाँ कुछ शोधार्थी पी-एचडी0 की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं तथा कुछ अन्य पंजीकृत हैं। भौतिकी विभाग में वर्ष 2011 में शोध केन्द्र की स्थापना की गई।

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार की संरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध हैं। पर्याप्त संख्या में कक्ष आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, वाचनालय, सभी प्रकार के खेल-कूद की सुविधायें, छात्रावास की सुविधा, कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा, शीतल पेयजल की सुविधा, एन0सी0सी0 तथा एन0एस0एस0 प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा इत्यादि सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों इत्यादि का भी आयोजन किया जाता है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु एक 'व्यवसाय परामर्श इकाई' भी कार्यरत है जिसके माध्यम से विभिन्न रोजगार अवसरों की जानकारी दी जाती है। विद्यार्थियों की साहित्यिक एवं रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने हेतु महाविद्यालय द्वारा एक वार्षिक पत्रिका "ऋतम्भरा" का प्रकाशन भी किया जाता है। इस प्रकार यह महाविद्यालय एक स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास करने का पूर्ण अवसर प्रदान करता है।

महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) तथा ढ0 प्र0 शासन से समय-समय पर सहायता अनुदान प्राप्त होता रहा है, लेकिन गत तीन दशक में इसने जिस द्रुत गति से विकास किया है उसका मुख्य श्रेय परम आदरणीय श्री जय प्रकाश जी गौड़, अध्यक्ष, एंग्लो-वैदिक शिक्षा समिति तथा मैनेजिंग ट्रस्टी जय प्रकाश सेवा संस्थान को जाता है। महाविद्यालय के वर्तमान परिसर में अधिकांश निर्माण कार्य जय प्रकाश सेवा संस्थान द्वारा कराया गया है।

अविकसित क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद महाविद्यालय का परीक्षाफल हमेशा उत्तम रहा है। महाविद्यालय के विद्यार्थी पिछले कई वर्षों से लगातार विश्वविद्यालय की योग्यता सूची में उच्च स्थान प्राप्त करते रहे हैं। उत्तम परीक्षा परिणाम महाविद्यालय के सभी प्राच्यापकों की योग्यता, निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता का द्योतक है। अधिकांश प्राच्यापक पी-एचडी0 की उच्चतम उपाधि से विभूषित हैं। महाविद्यालय का अनुशासन उच्च कोटि का है जो कि इसकी प्रशासनिक सुयोग्यता को प्रदर्शित करता है।

सत्र 2012-13 में महाविद्यालय का "राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद" (NAAC) द्वारा मूल्यांकन किया गया तथा महाविद्यालय को (CGPA 2.71) के साथ ग्रेड 'B' प्राप्त हुआ है।

महाविद्यालय प्रबंधतंत्र निरंतर इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि यह महाविद्यालय शैक्षिक उत्कृष्टता के शिखर पर विराजमान हो।



शिक्षक-मण्डल

डॉ० उमेश कुमार झा
एम०ए०, पी-एच०डी०

कार्यवाहक प्राचार्य

भौतिक विज्ञान विभाग (स्नातकोत्तर)

| | | |
|----|---|------------------------------------|
| 1. | श्री यजवेन्द्र कुमार एम०एस-सी०, नेट, एम०टेक० | सहायक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. | रिक्त | दयूटर |
| 3. | रिक्त | दयूटर |
| 4. | रिक्त | दयूटर |
| 5. | रिक्त | दयूटर |

रसायन विज्ञान विभाग (स्नातकोत्तर)

| | | |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | डॉ० (श्रीमती) चन्द्रावती एम०एस-सी०, एम०फिल०, पी-एच०डी० | एस०० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. | डॉ० घनेन्द्र कुमार बंसल एम०एस-सी०, पी-एच०डी० | सहायक प्रोफेसर |
| 3. | डॉ० जागृति सिंह एम०एस-सी०, पी-एच०डी० | सहायक प्रोफेसर |
| 4. | रिक्त | दयूटर |
| 5. | रिक्त | दयूटर |

गणित विभाग

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. डॉ० ऋषि कुमार अग्रवाल एम०एस-सी०, एम०फिल०, पी-एच०डी० | एस०० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. रिक्त | द्यूटर |

सांख्यिकी विभाग

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. डॉ० प्रदीप कुमार त्यागी एम०एस-सी०, एम०फिल०, पी-एच०डी० | एस०० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. रिक्त | द्यूटर |

संस्कृत विभाग (स्नातकोत्तर)

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. श्री लक्ष्मण सिंह | सहायक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. रिक्त | द्यूटर |
| 3. रिक्त | द्यूटर |

अर्थशास्त्र विभाग

- | | |
|----------|--------|
| 1. रिक्त | द्यूटर |
|----------|--------|

समाजशास्त्र विभाग

- | | |
|----------|--------|
| 1. रिक्त | द्यूटर |
|----------|--------|

राजनीतिशास्त्र विभाग

1. डॉ० उमेश कुमार झा
एम०ए०, पी-एच०डी०

एस०० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

हिन्दी विभाग

1. रिक्त
2. रिक्त

दयूटर
दयूटर

अंग्रेजी विभाग

1. रिक्त
2. रिक्त

दयूटर
दयूटर

शारीरिक-शिक्षा एवं खेल विभाग

1. डॉ० सीमान्त कुमार दुबे
एम०पी०एड०, नेट, डी०एस०सी० (एन०आई०एस०), पी-एच०डी०

एस०० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

बी०सी०ए० विभाग

1. श्री पंकज गुप्ता
एम०सी०ए०, एम०टेक०
2. श्री मयंक शर्मा
बी०टेक०, एम०टेक०
3. श्री सचिन अग्रवाल
एम०सी०ए०
4. श्री सत्य प्रकाश गौतम
एम०सी०ए०

सहा० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

सहा० प्रोफेसर

सहा० प्रोफेसर

सहा० प्रोफेसर

वाणिज्य विभाग

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. डॉ० भुवनेश कुमार | सहा० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष |
| एम०कॉम०, पी-एच०डी० | |
| 2. डॉ० तरुण कुमार | सहा० प्रोफेसर |
| एम०कॉम०, पी-एच०डी० | |
| 3. डॉ० राजीव गोयल | सहा० प्रोफेसर |
| एम०कॉम०, पी-एच०डी० | |
| 4. डॉ० विशाल शर्मा | सहा० प्रोफेसर |
| एम०कॉम०, एम० फिल०, पी-एच०डी० | |
| 5. रिक्त | ट्यूटर |

शिक्षा विभाग

| | |
|---|--------------------------------|
| 1. डॉ० कृष्ण चन्द गौड़ | सहा० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष |
| एम०ए०, एम०एड०, पी-एच०डी० | |
| 2. डॉ० (श्रीमती) सुनीता गौड़ | सहा० प्रोफेसर |
| एम०ए० (हिन्दी, संस्कृत), एम०एड०, पी-एच०डी० | |
| 3. डॉ० (श्रीमती) सुधा उपाध्याय | सहा० प्रोफेसर |
| एम०ए० (इतिहास), एम०एड०, पी० जी० डी०ई०एस०, पी-एच०डी० | |
| 4. डॉ० बीरेन्द्र कुमार | सहा० प्रोफेसर |
| एम०ए० (शिक्षाशास्त्र), एम०कॉम०, पी-एच०डी०(शिक्षा शास्त्र एवं वाणिज्य) | |
| 5. डॉ० शैलेन्द्र कुमार सिंह | सहा० प्रोफेसर |
| एम०एस-सी० (वनस्पति विज्ञान), एम०एड०, एम० फिल०, पी-एच०डी०, नेट | |
| 6. श्री देवस्वरूप गौतम | सहा० प्रोफेसर |
| एम०ए० (अंग्रेजी), एम०एड०, नेट | |
| 7. श्री गुरुदत्त शर्मा | सहा० प्रोफेसर |
| एम०एस-सी० (गणित), एम०एड०, नेट | |
| 8. रिक्त | - |

शिक्षणेत्र मण्डल वित्त पोषित

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| रिक्त | : | प्रवक्ता - लाइब्रेरी |
| श्री सुनील कुमार गर्ग | : | कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-II |
| श्री अनिल कुमार अग्रवाल | : | कनिष्ठ सहायक |
| श्री को को श्रीवास्तव | : | पुस्तकालय सहायक |
| श्री लक्ष्मण सिंह | : | कनिष्ठ सहायक |
| श्री पंकज शर्मा | : | प्रयोगशाला सहायक (भौतिकी विभाग) |
| श्री सुनील कुमार | : | प्रयोगशाला सहायक (रसायन-शास्त्र विभाग) |
| श्री नारायण देव मिश्रा | : | दफ्तरी |
| श्री डम्बर सिंह | : | अर्दली (प्राचार्य) |
| श्री गजेन्द्र सिंह | : | प्रयोगशाला गैसमैन (रसायन-शास्त्र विभाग) |
| श्री कपूर चन्द्र | : | चौकीदार |
| श्रीमती पार्वती उर्फ़ पूजा रानी | : | पुस्तकालय परिचारिका |
| श्री सुनील कुमार निर्मल | : | प्रयोगशाला परिचर (भौतिकी विभाग) |
| श्री महेश चन्द्र | : | सेवक |
| श्री अमरनाथ राय | : | प्रयोगशाला परिचर (रसायन-शास्त्र विभाग) |
| श्री विजयपाल सिंह | : | माली |
| श्री राम अवतार | : | प्रयोगशाला परिचर (सार्विकी विभाग) |
| श्री चन्द्रपाल सिंह | : | अंशकालिक कम्प्यूटर ऑपरेटर |
| रिक्त | : | सफाईकार |

शिक्षणेत्र-मण्डल (स्व-वित्त पोषित)

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| श्री सुरेश रावत | : | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष |
| श्री दीपक कुमार शर्मा | : | लेखाकार |
| श्री आशीष कुमार | : | लिपिक |
| श्री जितेन्द्र कुमार | : | लिपिक |
| श्री पारस कुमार | : | प्रयोगशाला सहायक (बी०सी०ए०) |
| श्री प्रमोद कुमार | : | सुपरवाइजर |
| श्री योगेश कुमार | : | दैनिक भोगी सेवक (दफ्तरी) |
| श्री राम बाबू | : | दैनिक भोगी सेवक (ड्राईवर) |
| श्री नेत्रपाल सिंह | : | दैनिक भोगी सेवक |
| श्री सुबोध कुमार | : | दैनिक भोगी सेवक |
| श्री जितेन्द्र कुमार | : | दैनिक भोगी सेवक (इलेक्ट्रीशियन) |
| श्री त्रिलोक चन्द्र गर्ग | : | दैनिक भोगी सेवक |
| श्री नितिन | : | दैनिक भोगी सेवक (रसायन विभाग) |
| श्री विजय कुमार | : | दैनिक भोगी सेवक (सफाईकार) |
| श्री विक्रम | : | दैनिक भोगी सेवक (सफाईकार) |
| श्री राजीव | : | दैनिक भोगी सेवक (सफाईकार) |
| श्री राजू | : | दैनिक भोगी सेवक (सफाईकार) |

अन्य विभागीय प्रभारी

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1. व्यवसाय परामर्श इकाई एवं जन सूचना | : | श्री लक्ष्मण सिंह |
| 2. गृह परीक्षा, विद्युत व्यवस्था | : | डॉ० ऋषि कुमार अग्रवाल |
| एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र | : | डॉ० (श्रीमती) चन्द्रावती |
| 3. महिला संरक्षण समिति | : | |
| 4. नोडल अधिकारी, दशमोत्तर छात्रवृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति | : | |
| (1) अनुदानित | : | डॉ० (श्रीमती) चन्द्रावती |
| (2) स्व-वित्त पोषित | : | श्री सत्यप्रकाश गौतम |
| 5. राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.) | : | श्री यजवेन्द्र कुमार |
| 6. राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) | : | डॉ० सीमान्त दुबे |

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

अनुदानित -

- *M.Sc. : भौतिक विज्ञान (इलैक्ट्रॉनिक्स)
- *M.A. : संस्कृत (काव्य)
- B.Sc. : गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र
- संयोग : गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान
गणित, भौतिकी, सांख्यिकी
गणित, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी
- B.A. : हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं
शारीरिक-शिक्षा
- संयोग : कोई तीन विषय चुने जा सकते हैं, परन्तु तीन भाषा एक साथ
नहीं चुनी जा सकती।

नोट : शारीरिक शिक्षा विषय को विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य विषय के रूप में मान्यता दी गयी है।

स्व-वित्त पोषित -

- *M.Sc. : रसायन विज्ञान (कार्बनिक एवं अकार्बनिक)
- *B.C.A. : अनिवार्य विषय
- B.Ed. : अनिवार्य विषय
- B.Com. : अनिवार्य विषय

उपरोक्त सभी कोर्सों के परीक्षा प्रश्नपत्र कोड तालिका में अंकित हैं। बी0ए0/बी0एस-सी0/बी0कॉम0 के पाठ्यक्रम में अनिवार्य क्वालीफाइंग एवं बुनियादी पाठ्यक्रमों के प्रश्नपत्र कोड भी तालिका में दिये गये हैं।

*एम0ए0(संस्कृत), एम0एस0-सी0(भौतिकी एवं रसायन विज्ञान) तथा बी0सी0ए0 सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित हैं।

समितियाँ एवं शिक्षणेतर गतिविधियाँ

महाविद्यालय में शिक्षणेतर विभिन्न कार्यक्रमों के सुसंचालनार्थ प्राचार्य की अध्यक्षता में विभिन्न समितियाँ वर्ष पर्यन्त निरन्तर सक्रिय रहती हैं।

प्राचार्य परिषद

इस परिषद का गठन प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के हित में लिये जाने वाले किसी भी निर्णय पर विचार विमर्श करने तथा विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने हेतु किया गया है।

इसके सदस्यगण निम्नलिखित हैं -

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. डॉ० यू० के० झा (प्राचार्य) | 2. डॉ० पी० के० त्यागी |
| 3. डॉ० ऋषि कुमार अग्रवाल | 4. डॉ० श्रीमति चन्द्रावती |
| 5. श्री यजवेन्द्र कुमार | 6. डॉ० सीमान्त कुमार दुबे |
| 7. श्री लक्ष्मण सिंह | 8. श्री पंकज गुप्ता |
| 9. डॉ० के० सी० गौड़ | 10. डॉ० भुवनेश कुमार |

अनुशासन समिति

छात्र/छात्राओं में आत्म संयम, अनुशासन और शिष्टाचार की भावना का विकास महाविद्यालय में गठित अनुशासन समिति के तत्वावधान में किया जाता है। मुख्यानुशासक व अन्य अनुशासक सामूहिक रूप से इस दायित्व का निर्वाह करते हैं। अनुशासन समिति को महाविद्यालय में अनुशासन भंग करने के दोषी विद्यार्थियों को दण्डित करने का पूर्ण अधिकार है।

इस समिति में निम्न सदस्य हैं -

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. डॉ० प्रदीप कुमार त्यागी (मुख्यानुशासक) | 2. डॉ० ऋषि कुमार अग्रवाल |
| 3. डॉ० (श्रीमति) चन्द्रावती | 4. श्री यजवेन्द्र कुमार |
| 5. डॉ० सीमान्त दुबे | 6. श्री लक्ष्मण सिंह |
| 7. डॉ० विशाल शर्मा | 8. श्री के० के० श्रीवास्तव |

नोट: चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुशासन समिति के सदस्य की संस्तुति आवश्यक है एवं प्रार्थना पत्र देने के तीन दिन बाद चरित्र प्रमाण-पत्र/टी०सी० निर्गत किया जायेगा।

छात्र-कल्याण समिति

समिति द्वारा विद्यार्थियों के हित में अनेक कल्याणकारी कार्य सम्पादित किये जाते हैं। निर्धन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का वितरण इत्यादि कार्य समिति के माध्यम से संचालित किये जाते हैं। समय-समय पर समिति द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा विद्यार्थियों के हित में अन्य कल्याणकारी कार्यों का भी संपादन किया जाता है। समिति के सदस्यगण निम्नलिखित हैं-

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. डॉ० प्रदीप कुमार त्यागी (प्रभारी) | 2. डॉ० (श्रीमति) चन्द्रावती |
| 3. श्री लक्ष्मण सिंह | 4. डॉ० के०सी० गौड़ |
| 5. श्री सत्यप्रकाश गौतम | |

आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC) एवं नैक समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन समिति के दिशानिर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। इसका मुख्य कार्य संस्था से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा रिकार्डों का रख-रखाव करना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं मानदंडों के अनुरूप सभी शिक्षकों का शैक्षिक निष्पादन संकेतांक (Academic Performance Indicator) तैयार करना है। यह प्रकोष्ठ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन समिति के दिशानिर्देशों के अनुरूप विद्यार्थियों से 'फीडबैक' भी प्राप्त करती है।

इस प्रकोष्ठ के सदस्यगण निम्नवत हैं:-

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. डॉ. ऋषि कुमार अग्रवाल (समन्वयक) | 2. डॉ (श्रीमती) चन्द्रावती |
| 3. श्री यजवेन्द्र कुमार | 4. डॉ सीमान्त दुबे |
| 5. श्री पंकज गुप्ता | 6. डॉ भुवनेश कुमार |
| 7. डॉ शैलेन्द्र कुमार सिंह | 8. श्री श्याम बिहारी श्रीवास्तव(सामाजिक कार्यकर्ता) |
| 9. डॉ. आलोक गोविल(सामाजिक कार्यकर्ता) | 10. श्री सुनील कुमार गर्ग |

एंटी रैगिंग समिति

रैगिंग एक ऐसा अभिशाप है जिससे शैक्षिक वातावरण प्रदूषित होता है तथा नवआगंतुक विद्यार्थियों के लिये मुसीबते खड़ी होती हैं। महाविद्यालय स्तर पर ऐसी किसी भी स्थिति को रोकने के लिये इस समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्यगण निम्नलिखित हैं-

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. श्री यजवेन्द्र कुमार (प्रभारी) | 2. डॉ (श्रीमती) सुधा उपाध्याय |
| 3. डॉ वीरेन्द्र कुमार | 4. डॉ तरुण बाबू |
| 5. श्री राजीव गोयल | |

शिकायत-निवारण प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा या कठिनाइयाँ होती हैं तो वे इसका निवारण इस प्रकोष्ठ के माध्यम से कर सकते हैं। प्रकोष्ठ के सदस्यगण निम्नलिखित हैं-

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. श्री यजवेन्द्र कुमार (प्रभारी) | 2. श्री पंकज गुप्ता |
| 3. डॉ (श्रीमती) सुनीता गौड़ | 4. श्री भुवनेश कुमार |
| 5. श्री सुनील कुमार गर्ग | |

चिकित्सा समिति

इस विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा सहायता की भी व्यवस्था है। यदि किसी विद्यार्थी को अचानक इसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस हेतु महाविद्यालय नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर आलोक अग्रवाल की नियमित रूप से सप्ताह में दो बार सेवायें प्राप्त करता है तथा विद्यार्थी निःशुल्क इस सुविधा का लगातार लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस समिति के सदस्यगण निम्नलिखित हैं-

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. डॉ० (श्रीमती) चन्द्रवती (प्रभारी) | 2. डॉ० ऋषि कुमार अग्रवाल |
| 3. डॉ० घनेन्द्र बंसल | 4. डॉ० (श्रीमती) जागृति सिंह |
| 5. श्री देवस्वरूप गौतम | |

क्रीड़ा समिति

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास रहता है, इस सर्वमान्य नियम के अनुसार महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए बिलियर्ड्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबिल-टेनिस, बास्केट-बॉल, जिम्नेजियम, वेट लिफ्टिंग एवं स्पोर्ट्स सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधियों का संचालन क्रीड़ा समिति के माध्यम से किया जाता है। यह समिति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समय-समय पर खेल सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस समिति के सदस्यगण निम्नलिखित हैं-

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. डॉ० सीमान्त दुबे (प्रभारी) | 2. डॉ० पी० के० त्यागी |
| 3. डॉ० (श्रीमती) चन्द्रावती | 4. श्री मयंक शर्मा |
| 5. श्री गुरुदत्त शर्मा | 6. डॉ० विशाल शर्मा |

सांस्कृतिक-कार्यक्रम समिति

विद्यार्थियों में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतिभा का विकास करने के लिए यह समिति कार्यरत है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय-समय पर समिति विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस समिति में निम्न सदस्य हैं -

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. डॉ० (श्रीमती) चन्द्रावती (प्रभारी) | 2. डॉ० (श्रीमती) सुनीता गौड़ |
| 3. डॉ० (श्रीमती) सुधा उपाध्याय | 4. श्री लक्ष्मण सिंह |
| 5. डॉ० (श्रीमती) जागृति सिंह | 6. श्री गुरुदत्त शर्मा |

महाविद्यालय प्रकाशन समिति (विवरणिका, वार्षिक-पत्रिका इत्यादि)

विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रतिभा हेतु वार्षिक-पत्रिका 'ऋतम्भरा' का प्रकाशन किया जाता है। महाविद्यालय की प्रगति तथा विभिन्न क्रियाकलापों का लेखा-जोखा भी पत्रिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। विवरणिका एवं वार्षिक-पत्रिका समिति के सदस्यगण निम्नलिखित हैं-

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. डॉ० श्रीमती चन्द्रावती (प्रभारी) | 2. डॉ० सीमान्त कुमार दुबे |
| 3. श्री लक्ष्मण सिंह | 4. डॉ० भुवनेश कुमार |
| 5. डॉ० शैलेन्द्र कुमार सिंह | |

पुस्तकालय समिति

महाविद्यालय में स्थित पुस्तकालय विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ज्ञान के इस विशाल स्रोत पर पुस्तकालय समिति पूर्णतया नियंत्रण रखती है। फलस्वरूप इस पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकें, उच्च कोटि के ग्रन्थ, रचनाएँ तथा अनेक पत्र-पत्रिकायें उपलब्ध हैं। पुस्तकालय समिति के सदस्यगण निम्नलिखित हैं-

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. डॉ० ऋषि कुमार अग्रवाल (प्रभारी) | 2. श्री यजवेन्द्र कुमार |
| 3. श्री लक्ष्मण सिंह | 4. श्री के. के. श्रीवास्तव |

भवन निर्माण समिति

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. डॉ० ऋषि कुमार अग्रवाल (प्रभारी) | 2. डॉ० पी० के० त्यागी |
| 3. डॉ० सीमान्त दुबे | 4. श्री सुनील कुमार गर्ग |

सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति (I.T. Committee)

यह समिति मानव विकास संसाधन मन्त्रालय (केन्द्र सरकार), राज्य सरकार, उच्च शिक्षा निदेशालय एवं विश्व विद्यालय इत्यादि के साथ ऑनलाइन सूचनाओं के आदान-प्रदान का कार्य करती है।

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. डॉ० ऋषि कुमार अग्रवाल (प्रभारी) | 2. श्री सचिन अग्रवाल |
| 3. श्री सुनील कुमार गर्ग | 4. श्री दीपक कुमार शर्मा |

व्यवसाय परामर्श इकाई

यह इकाई विद्यार्थियों को विभिन्न व्यावसायिक विकल्पों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करने के लिए गठित की गयी है। इकाई द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों तथा रोजगार समाचार में प्रकाशित विभिन्न रिक्तियों की सूचना, आगामी परीक्षाओं से सम्बन्धित सभी प्रकार की वाँछित सूचनायें तथा आवश्यक सन्दर्भ ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाओं इत्यादि से सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

राष्ट्रीय-कैडेट कोर

एन०सी०सी० के माध्यम से विद्यार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण के साथ-साथ समाज-सेवा द्वारा राष्ट्र-निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश पाने के उपरान्त एन०सी०सी० अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि प्रदेश तथा केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारी सेवाओं में एन०सी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त प्रत्याशियों को कुछ विशेष वरीयता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

यह कार्यक्रम महाविद्यालय में वर्ष 1977 से प्रारम्भ है तथा वर्तमान में इस योजना की एक इकाई कार्यरत है। जो छात्र/छात्राएँ इस योजना में भाग लेना चाहते हैं, उनका एक वर्ष में 120 घण्टे कार्य करना तथा सात दिवसीय एक विशेष शिविर में उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसके अन्तर्गत सामाजिक सेवा से सम्बन्धित कार्यों को प्रमुखता दी जाती है, ताकि छात्र/छात्राओं में इस गुण का विशेष विकास हो सके और स्वयं को समाज में विशिष्ट नागरिक के रूप में स्थापित कर सकें। यह भी ज्ञातव्य है कि एन०एस०एस० करने वाले छात्रों को विभिन्न सेवाओं एवं बी०एड० प्रवेश परीक्षा में वरीयता दी जाती है।

यदि कोई छात्र एन०एस०एस० के अतिरिक्त एन०सी०सी० में भी भाग लेना चाहता है तो वह ले सकता है, लेकिन उसका दोनों योजनाओं के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

पुस्तकालय के नियम

1. प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय का लाभ उठाने के लिए इसकी सदस्यता लेनी होगी।
2. प्रत्येक विद्यार्थी को रीडर्स टिकिट दिये जायेंगे, जिसके लिए एक छाया चित्र, फीस के प्रथम रसीद व परिचय-पत्र लाना अनिवार्य होगा।
3. पत्र-पत्रिकाओं का उपयोग केवल पुस्तकालय भवन तक ही सीमित है।
4. रीडर्स टिकिट खो जाने पर यदि कोई अन्य विद्यार्थी उस पर पुस्तकालय से पुस्तक निर्गत करा लेता है तो उस पुस्तक का मूल्य टिकिट धारक को ही देना होगा तथा पुनः रीडर्स टिकिट नहीं बनाया जायेगा।
5. पुस्तकालय की पुस्तक खो जाने पर विद्यार्थी को पुस्तक का दुगुना मूल्य जमा कराना होगा।
6. पुस्तकालय में पुस्तकों को परीक्षा से पूर्व जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

शिष्टाचार सम्बन्धी नियम

1. कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रत्येक विद्यार्थी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। अन्यथा परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा।
2. परिसर के अन्दर सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का अनुपालन अनिवार्य है।
3. प्रत्येक विद्यार्थी का निर्धारित गणवेश (यूनिफॉर्म) में महाविद्यालय आना अनिवार्य है, जोकि निम्नप्रकार है-

(अ) छात्रों के लिए -

ग्रीष्मकाल : सादा (प्लेन) सफेद शर्ट एवं स्टील ग्रे पैन्ट।

शीतकाल : सफेद शर्ट, स्टील ग्रे पैन्ट एवं काले रंग का स्वेटर/जर्सी/कोट।

(ब) छात्राओं के लिये -

ग्रीष्मकाल : हल्के बादामी रंग का कुर्ता, सफेद सलवार एवं सफेद चुनी।

शीतकाल : हल्के बादामी रंग का कुर्ता, सफेद सलवार, सफेद चुनी एवं काले रंग का कार्डिगन।

4. कोई भी विद्यार्थी रैगिंग जैसी किसी भी गतिविधि में लिप्त नहीं होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ऐसे विद्यार्थीयों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कारबाई की जा सकती है। प्रवेश के समय 10 रूपये के स्टॉप पेपर पर प्रत्येक विद्यार्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र भरना होगा जिसका प्रारूप विवरणिका के साथ संलग्न है।
5. महाविद्यालय में साफ-स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अतएव महाविद्यालय प्रांगण में पान, पानमसाला खाना एवं धूम्रपान निषिद्ध है।
6. कक्षाओं के द्वार पर अथवा गैलरी में छात्र/छात्रायें तेज स्वर में वार्तालाप न करें।
7. पूर्व अनुमति लिए बिना छात्र/छात्रायें कार्यालय कक्ष में न जायें।
8. महाविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ शालीनतापूर्ण वार्तालाप एवं व्यवहार सर्वथा अपेक्षित है।
9. महाविद्यालय की सम्पत्ति का सदुपयोग, रख-रखाव एवं सुरक्षा का भार विद्यार्थीयों पर भी है। यदि कोई विद्यार्थी अथवा बाहरी व्यक्ति इसे हानि पहुँचाता है तो एक प्रबुद्ध विद्यार्थी के नाते ऐसे तत्वों की सूचना तुरन्त अधिकारियों को दें।
10. शिष्टाचार के अन्य सामान्य नियमों का पालन सर्वथा अपेक्षित है।
11. शिष्टाचार सम्बन्धी नियमों की अवहेलना करने पर विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
12. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल लाना एवं उसपर बात करना वर्जित है। विशेषकर परीक्षा के दौरान यदि कोई विद्यार्थी मोबाइल या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाता है तो यह नकल सामग्री मानी जायेगी।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. महाविद्यालय में प्रवेश और शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया का पालन विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालय द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा स्कूटनी के बाद सत्यापित किये जाने तक अस्थायी रहेंगे।

(ख) प्रवेश, प्रवेश परीक्षा अथवा अहंता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर किये जायेंगे। लिंग, जाति, पंथ एवं धर्म के आधार पर नहीं। प्रवेशार्थी मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टि विहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत)/श्रवण छास/पालन निशकता (एक प्रतिशत), अंग भंग (1 प्रतिशत) हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान किया जायेगा। स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित और पूर्व सेना कर्मियों या उनके आश्रित अभ्यार्थियों को क्रमशः 3 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। प्रत्येक श्रेणी में 20% स्थान महिलाओं को आरक्षित होगा।

आरक्षित स्थान, अर्ह अभ्यार्थियों के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के 15 दिन बाद सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जा सकते हैं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने के लिए कुल उपलब्ध सीटों के 50 प्रतिशत सीटों पर 10 प्रतिशत सीट की वृद्धि की जायेगी।


उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को, जिसने प्रवेश हेतु आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में


प्रवेश का इच्छुक है, सक्षम अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जायेगा।

- (ग) अन्य प्रदेश के अध्यर्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अहंता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी अध्यर्थियों से कम न हो। कोई अध्यर्थी जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अहंता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।
- (घ) (1) किसी भी सरकारी कर्मचारी और दूसरे सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश उनके माता-पिता का स्थानान्तरण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत अथवा विलम्बतम 31 अक्टूबर तक ही स्वीकार्य होंगे। 31 अक्टूबर (वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत) के बाद किसी भी स्थिति में स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होंगे। सेमेस्टर सिस्टम में स्थानान्तरण सेमेस्टर में ही अनुमन्य किया जा सकेगा लेकिन प्रत्येक वर्ष की 31 अगस्त के बाद (सेमेस्टर सिस्टम में) कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। परीक्षाफल फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया 30 दिन में समाप्त करनी होगी।
- (2) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों के प्राचार्यों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।
- (3) किसी भी दशा में छात्र का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण, प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
- (4) अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय के सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।









- (5) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण, प्रवेश विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति पर ही अनुमन्य होगा।
- (इ) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा के प्रवेश की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीटें उन विद्यार्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू०पी० बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे-सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० आदि) किन्तु उनके योग्यता प्राप्तांक ३०प्र० बोर्ड के सामान्य श्रेणियों के अध्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिये।
- (च) प्रवेश वरीयता सूची तैयार करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में दो वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल पर (प्रयोगात्मक विषयों को छोड़ कर) प्रवेश अनुमान्य नहीं होगा। अन्तराल के बारों में कुल प्राप्तांकों से 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष कटौती की जायेगी। यह नियम केवल प्रथम वर्ष के प्रवेश पर ही लागू होगा।
- (छ) वे विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे, जिन्होंने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।
- (ज) वे विद्यार्थी प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी। उनकी हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा स्नातक परीक्षाएं मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड तथा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए।
2. महाविद्यालय प्रवेश करते समय एक सेक्षण में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अध्यर्थियों के प्रवेश करेगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेश के आलोक में महाविद्यालय के प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है।
परिनियमावली में कुलपति जी को प्राप्त अधिकार के अन्तर्गत सीटों पर प्रवेश हेतु कुलपति से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।
3. यदि कोई विद्यार्थी दूसरी स्नातकोत्तर डिग्री के लिये प्रवेश लेना चाहता है तो उसे प्रवेश तभी मिलेगा, जब उसने उस विषय का अध्ययन स्नातक स्तर पर भी किया हो एवं ऐसे विषय में

व्यक्तिगत परीक्षा देने का प्रावधान न हो।

4. किसी भी विद्यार्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातकोत्तर विषय में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, यदि उसने वह विषय स्नातक स्तर पर नहीं लिया है चाहे अभ्यर्थी ने उस विषय से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
5. अभ्यर्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो किन्तु यदि वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे वह परीक्षा एक पूर्व-विद्यार्थी के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. विद्यार्थी की वरीयता सूची को आंकने के लिये प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक दिये जायेंगे—
 - (अ) 4 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो।
 - (ब) 4 प्रतिशत अधिभार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिये।
 - (स) 3 प्रतिशत अधिभार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिये।
 - (द) (1) 3 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिये जिन्होंने NCC का "C" या "G-II" सर्टीफिकेट प्राप्त किया हो।

अथवा

- (2) 2 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिये जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टीफिकेट प्राप्त किया हो।

अथवा

- (3) 3 प्रतिशत अधिभार उन अभ्यर्थियों के लिये, जिन्होंने एन0एस0एस0 के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 10-10 दिनों के 2 कैम्पों में भाग लिया हो अथवा 2 प्रतिशत अधिभार उनके लिये जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा तथा 10 दिनों का एक कैम्प किया हो अथवा 1 प्रतिशत अधिभार उनके लिये जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 कैम्प किया हो।
- (य) स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा

(i) 1 प्रतिशत अधिभार-द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(ii) 2 प्रतिशत अधिभार-तृतीय सोपान/गुरुपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) 3 प्रतिशत अधिभार-राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) 4 प्रतिशत अधिभार-भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

(र) इण्टरमीडिएट स्तर पर एन0एस0एस0 में प्रतिभागी के स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये 10 अंक दिये जायेंगे तथा यह अंक अहंता परीक्षा के कुल प्राप्तांकों में जोड़े जायेंगे।

नोट-

(i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को 8 प्रतिशत से अधिक का अधिभार नहीं दिया जायेगा, लेकिन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को अधिकतम 12 प्रतिशत तक अधिभार दिया जा सकता है।

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(iii) नियम 6 (अ) के अन्तर्गत अधिभार स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु तभी देय होगा जब कि अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालय खेलों में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन करते हुए भाग लिया हो। इण्टर कॉलेज के स्तर पर भाग लेने वालों को यह अधिभार केवल स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु ही मान्य होगा। ऐसे प्रकरण-पत्रों की जाँच एवं प्रवेश अधिकारी की संस्तुति आवश्यक है।

7. कोई भी विदेशी विद्यार्थी किसी भी महाविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिये प्रवेश का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसको जनपद के पुलिस अधीक्षक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान न कर दें, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय में विदेशी विद्यार्थी को व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
8. इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता किसी अन्य विश्वविद्यालय से $10+2+3$ या $11+1+3$ पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या

- 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि उपरान्त के पाद्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अध्यर्थी द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाद्यक्रम के समान दो वर्षीय पाद्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाद्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष में लगभग समान पाद्यक्रम पढ़ चुका हो। यह प्रवेश नियम 9 के मान्य होने की स्थिति के अधीन होगा।
9. एक अध्यर्थी को संस्थागत रूप में बी0ए0/बी0एस-सी0/बी0कॉम0 6 वर्ष की अधिकतम अवधि में एम0ए0/एम0एस-सी0 चार वर्ष में, किन्तु स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा अधिकतम सत वर्षों में पूर्ण करनी होगी तथा बी0एड0 तीन वर्ष में पूर्ण करनी होगी। तीन/चार/छः/सात वर्ष की अवधि उस शैक्षिक सत्र से मानी जायेगी, जिसमें उसने प्रथम बार प्रवेश लिया हो। उक्त अवधि के समाप्त होने के उपरान्त उसका अध्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
10. एम0एस-सी0 (भौतिकी एवं रसायन) एवं एम0ए0 (संस्कृत) में प्रवेश परीक्षा/योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिये निम्न नियम अतिरिक्त होंगे -
- (i) महाविद्यालय, विषय के लिये निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे।
- (ii) एम0एस-सी0 में प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी0एस-सी0 में ऊपर बताये नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस0सी0/एस0टी0 के अध्यर्थियों के लिये मान्य नहीं होंगी, उनके लिये उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यता क्रमानुसार ही होंगे।
- (iii) एम0ए0 (संस्कृत) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- (iv) एम0एस-सी0 में प्रवेश के लिये चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा।
- (v) विद्यार्थी की योग्यता का निर्णय तीन वर्षीय उपाधि की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के साथ उस विषय में प्राप्त अंकों जिसमें उसे प्रवेश लेना है, को जोड़ कर दिया जायेगा। विषय में प्राप्त अंकों की गणना स्नातक स्तर के तीनों वर्षों के लिखित परीक्षा में प्राप्त पूर्ण अंकों तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधे अंकों को जोड़कर की जायेगी। इस प्रतिशत में नियमानुसार देय अधिभार अंक भी जोड़े जायेंगे।
- (vi) ऊपर इंगित विषयों में प्रवेश के लिये आवेदन करने वाले अध्यर्थियों की एक सम्पूर्ण सूची

महाविद्यालय द्वारा तैयार की जायेगी और पूर्ण विवरण के साथ चयन एवं प्रतीक्षा सूची प्रवेशोपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

- (vii) प्रतीक्षा सूची भी योग्यता क्रमानुसार तैयार की जायेगी और चयन सूची के साथ-साथ प्रदर्शित की जायेगी। प्रतीक्षा सूची चयन सूची के समान अर्थात् 100 प्रतिशत होनी चाहिए। दोनों सूचियाँ महाविद्यालय के सूचना पट पर संसूचित की जानी चाहिये और विश्वविद्यालय को साथ-साथ भेजी जायेगी। प्रत्येक विद्यार्थी को सूची में स्थान के अनुसार सूचित किया जायेगा। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को उसके लिये निश्चित प्रवेश तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व निर्धारित समय पर उस तिथि को उपस्थित होने के लिये सूचित किया जायेगा। प्रवेश के संदर्भ में उन्हें वरीयता दी जाए, जो निश्चित तिथि और समय पर प्रवेश के लिये उपस्थित हों।
- (viii) एम0ए0 (संस्कृत) में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर संस्कृत में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

11. (i) बी0कॉम0 प्रथम वर्ष के प्रवेश प्रकरण में योग्यता सूची तैयार करते समय उन विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत अधिभार दिया जायेगा जिन्होंने 10+2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी0कॉम0 में प्रवेश के लिये मैरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिये इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्तांकों को आधार माना जायेगा। इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे, प्रयोगात्मक विषयों के नहीं।
- (ii) बी0ए0 में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिये) 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।
12. (i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी अभ्यर्थी को उस जनपद के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह नियम उस विद्यार्थी पर लागू नहीं होगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित साधन एवं गलत आचरण का दोषी नहीं पाया जायेगा।
- (ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध में अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि उसे प्रवेश दे दिया गया

है तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

- (iii) महाविद्यालय के प्राचार्य को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश को महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (iv) महाविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरुद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- (v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रेंगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा महाविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार या दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाये गये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
13. बी0एड0 की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम बी0एड0 के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।
14. एक अभ्यर्थी, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बन्धित द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में, अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिये स्वीकार्य नहीं होगा।
15. एक अभ्यर्थी, जो कि ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये स्वीकार नहीं होगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता।
16. एक अभ्यर्थी, जिसने स्नातक की उपाधि $10+3$ या $10+2+2$ या $10+1+3$ के पैटर्न पर उत्तीर्ण की है, स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा। जब तक कि वह एक वर्षीय ब्रिज पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। ब्रिज पाठ्यक्रम के लिये उसे तीन वर्षीय स्नातक उपाधि के अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
17. अभ्यर्थी जिसने द्वि वर्षीय स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की है, स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ब्रिज पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये संकाय परिवर्तन कर सकता है।
18. बी0सी0ए0 की परीक्षा बी0एस-सी0 (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।
19. अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, महाविद्यालय में प्रवेश के लिये योग्य नहीं माना जायेगा।

20. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।
21. अभ्यर्थी, जिसने द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय में ब्रिज पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये योग्य नहीं माना जायेगा।
22. (i) अभ्यर्थी, जिसने मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय में बी0ए0 प्रथम/एम0ए0 प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने के योग्य माना जायेगा।
(ii) अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है, वह बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अहं होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05-06-2004 में लिये गये निर्णयानुसार)।
(iii) उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् से उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अहं माना जायेगा। (समकक्ष समिति की बैठक दिनांक 18.11.2003 के मद संख्या-4 में लिये गये निर्णयानुसार)
23. अभ्यर्थी, जिसने आबिद, कामिल परीक्षा, जामिया-ए-उर्दू, अलीगढ़ से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में प्रवेश के लिये अहं नहीं है।
24. अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग/इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिये प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जायेगा।
25. (i) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।
(ii) यदि कोई स्थान स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में संस्थागत पाठ्यक्रम में खाली रहता है, तो वह संध्याकालीन कक्षाओं में विद्यार्थियों से योग्यता के आधार पर और उसी शुल्क पर, जो संस्थागत विद्यार्थियों से लिया जाता है, भरा जा सकता है।
26. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यूपी0 या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमे के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमे के बारे में निरस्त माना जायेगा।
27. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिये अनुमत नहीं होगा, जब तक

वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो।

महाविद्यालय अस्थायी प्रवेश के लिये अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म, बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने, विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेंगे।

28. कोई भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो (अनुपालन का उत्तरदायित्व महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा)।
29. पुनः परीक्षा में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह पुनः परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता तो उसका अस्थायी प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा तथा उसे भी सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पूर्ण परीक्षा देनी होगी। परन्तु स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
30. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।
31. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिये चुन लिया जाता है तो उस श्रेणी के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी। किसी नियम की अज्ञानता उसके उलंघन का बहाना नहीं माना जायेगा।
32. व्यक्तिगत रूप से स्नातक/स्नातकोत्तर के परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अर्हता/समकक्षता आदि नियम संस्थागत परीक्षार्थियों की भाँति ही लागू होंगे।

नोट- विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन/परिवर्धन सर्वमान्य होगा।

बी.सी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इंटरमीडिएट के साथ हाईस्कूल में गणित विषय अनिवार्य है।

अमान्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों की सूची

विद्यार्थी जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं है। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्राप्त होती है तो उनका कोई भी विद्यार्थी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा।

अमान्य बोर्ड के नाम/ List of Fake Boards :-

- (1) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली।
- (2) केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद्, उत्तम नगर, नई दिल्ली।
- (3) केन्द्रीय उच्च शिक्षा परिषद्, पूर्व पटेल नगर, नई दिल्ली।
- (4) व्यस्क एवं तकनीकी शिक्षा परिषद्, अलीगंज, मुबारकपुर, नई दिल्ली।
- (5) गुरुकृत विश्वविद्यालय, वृन्दावन
- (6) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/इलाहाबाद।
- (7) एम.एच. एजूकेशनल विद्यापीठ, जैनपुर

अमान्य विश्वविद्यालयों के नाम/ List of Fake Universities :-

बिहार/ Bihar :-

- (1) Maithili University Alerts-Inside HE-University Grant Commission.

दिल्ली/ Delhi:-

- (2) Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Jagatpuri, Delhi.
- (3) Commercial University Ltd., Daryaganj, Delhi.
- (4) United Nations University, Delhi.
- (5) Vocational University, Delhi
- (6) ADR-Centric Juridical University, ADR House, BJ, Gopala Tower, 25 Rajendra Place, New Delhi-110 008.
- (7) Indian Institute of Science and Engineering, New Delhi.

कर्नाटक/ Karnataka :-

- (8) Badaganvi Sarkar World Open University Education Society, Gokak Belgaum, Karnataka.

केरल/ Kerala :-

- (9) St. Jon's University, Kishanattam, Kerala.

मध्य प्रदेश/ Madhya Pradesh:-

- (10) Kesarwani Vidyapith, Jabalpur, Madhya Pradesh.

महाराष्ट्र/ Maharashtra :-

- (11) Raja Arabic University, Nagpur, Maharashtra.

तमिलनाडु/ Tamil Nadu :-

- (12) D.D.B. Sanskrit University, Putur, Trinchi, Tamil Nadu.

पश्चिम बंगाल/ West Bengal :-

- (13) Indian Institute of Alternative Medicine, Kolkatta.

उत्तर प्रदेश/ Uttar Pradesh :-

- (14) Mahila Gram Vidyapith/Vishwavidyalaya. (Women's University) Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh.
- (15) Gnadhi Hindi Vidyapeeth, Prayag, Allahabad (U.P.)
- (16) National University of Electro Complexc Homeopathy, Kanpur.
- (17) Netaji Subhash Chandra Bose University (Open University), Achaltal, Aligahr, (U.P.)
- (18) Uttar Pradesh Vishwavidyalaya, Kosi Kalan, Mathura (U.P.).
- (19) Maharana Pratap Shiksha Niketan Vishwavidyalaya, Pratapgarh, Uttar Pradesh.
- (20) Indraprastha Shiksha Parishad, Insstitutional Area Khoda, Makanpur, Noida Phase-II, Uttar Pradesh.
- (21) Gurukul Vishwavidyalaya, Vrindavan, Uttar Pradesh.
- (22) Indian Education Council of U.P., Lucknow (U.P.).

प्रवेश प्रक्रिया

विश्वविद्यालय के नियमानुसार विद्यार्थी, महाविद्यालय कार्यालय से प्रवेश के समय विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा का फार्म प्राप्त कर लें तथा पूर्ण रूप से भर कर निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा कर दें अन्यथा विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया जायेगा।

किसी भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन उसके प्रवेश की गारन्टी नहीं है।

नोट-

- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक छात्र/छात्रा की प्रत्येक कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत होनी आवश्यक है तथा प्रत्येक छात्र/छात्रा, अभिभावक को इस बात की प्रत्येक माह जानकारी करना अनिवार्य है। यदि वह जानकारी नहीं करता/करती है तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता/पाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र/छात्रा/अभिभावक की होगी। महाविद्यालय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- उ090 माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा से भिन्न अन्य किसी परिषद्/विश्वविद्यालय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा उस परिषद्/विश्वविद्यालय का माइग्रेशन प्रमाण पत्र परीक्षा फार्म में मूल रूप में नामांकन फार्म पर अवश्य चिपका दें।
- कार्यालय विद्यार्थी को जब शुल्क की रसीद व परिचय पत्र देगा तभी किसी विद्यार्थी का प्रवेश वैध माना जायेगा।
- महाविद्यालय में सभी महत्वपूर्ण सूचनायें, सूचनापट पर लगा दी जाती हैं। विद्यार्थी नियमित रूप से इसको देखते रहें।

प्रवेश की अवैधता

1. छात्र/छात्रा अथवा उनके अभिभावक द्वारा अपूर्ण अथवा असत्य सूचना दिये जाने पर प्रवेश अवैध एवं निरस्त कर दिया जायेगा।
2. प्रवेश आवेदन पत्र छात्र/छात्रा को स्वयं भरना चाहिए तथा हस्ताक्षर के स्थान पर बाँछित व्यक्ति ही हस्ताक्षर करें अन्य नहीं। अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट -

- (अ) चरित्र प्रमाण-पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र का शुल्क रु0 3/- है। चरित्र प्रमाण-पत्र एक सत्र में केवल एक बार दिया जायेगा।
- (ब) शुल्क जमा होने के 3 दिन बाद चरित्र प्रमाण-पत्र अथवा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
- (स) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ अन्तिम परीक्षा की अंक तालिका/विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, न होने पर, आवेदक, परीक्षा का वर्ष, अनुक्रमांक व नामांकन संख्या आवेदन पत्र पर अवश्य लिखें।
3. विश्वविद्यालय की अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर विद्यार्थियों को अपना चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) दिनांक 31.08.2016 तक अवश्य प्राप्त कर लें। मध्य सत्र में देय न होंगे। इसकी प्राप्ति से पूर्व समस्त विभागों से अदेयता भी प्राप्त कर लें। उक्त प्रमाण पत्र महाविद्यालय से केवल एक बार ही देय हैं। जो सदैव प्रयोग किया जा सकेगा। खो जाने/नष्ट हो जाने पर पुनः प्राप्ति हेतु विद्यार्थी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

छात्र सहायता

छात्र सहायता कोष

इस कोष से निर्धन विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को घोषित अन्तिम निर्धारित तिथि तक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने होंगे।

आवेदक को अपने सभी स्रोतों से प्राप्त पारिवारिक आय का प्रमाण-पत्र राजपत्रित अधिकारी/लोकसभा सदस्य/विधायक/तहसीलदार/सेवायोजक से प्रमाणित कराके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

ध्यान देने योग्य

1. सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
2. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंक खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिए।
3. हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अपना नाम तथा अपने माता-पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता-पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिए।
4. हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए।
5. आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है, तो उसको भी शुद्ध करा लेना चाहिए।
6. जिन छात्र/छात्राओं को इण्टरसीडिएट स्तर पर किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, वे प्रवेश फार्म पर उसका विस्तृत उल्लेख अवश्य कर दें। जैसे अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति, राष्ट्रीय क्रृष्ण/योग्यता छात्रवृत्ति या किसी अन्य प्रकार की। इसके प्रमाण में अन्तिम संस्था से छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली संस्था का नाम, पत्र संख्या, मासिक धनराशि व अवधि स्पष्ट रूप से प्रमाणित करा कर लायें ताकि भविष्य में यह सुविधा प्राप्त करने हेतु विभाग को आवश्यकता होने पर प्रगति आख्या पर संस्तुति की जा सके।
7. सामान्य, पिछड़े, अनु० जाति, अनु० जनजाति, अल्प संख्यक एवं विकलांग छात्रवृत्ति का फार्म पूर्ण रूप से भर कर, वांछित प्रमाण पत्रों सहित प्रवेश के समय ही 2 प्रतियों में प्रस्तुत करें।

परिचय-पत्र

महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा परिचय-पत्र दिया जायेगा। यह परिचय-पत्र प्रत्येक विद्यार्थी के पास सदैव होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय-पत्र प्राप्त कर, उस पर फोटो चिपका कर तथा पूर्ण करके उस पर चीफ प्रॉफेसर के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण होता है, परिचय-पत्र खो जाने पर नोटेरी का शपथ पत्र देने पर निर्धारित शुल्क ₹0 10/- जमा करने के पश्चात ही द्वितीय परिचय-पत्र बनवाया जा सकेगा।

विशेष नोट- अध्ययन कार्य आरम्भ होने के पश्चात परिचय-पत्र के अभाव में महाविद्यालय/कक्षा में प्रवेश वर्जित रहेगा।

B.C.A. Promotion Rules

Following will be the rules for promotion :

- 1- If a candidate fails in upto not more than four papers in I and II Semesters (of each year) taken together, he/she will be permitted to appear in Back Paper and will be promoted provisionally to the next year.
- 2- If a candidate fails in 5 to 6 papers in I and II Semesters taken together he/she will have to rejoin the course in I semester.
- 3- If a candidate fails in 7 or more papers he/she will not be allowed to continue and will be removed from roll of the College.

SUBJECTS & CODES

| | | Part-I | Part-II | Part-III |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| B.Sc. Exam Code "B" | Chemistry | B-106 | B-206 | B-306 |
| | | B-107 | B-207 | B-307 |
| | | B-108 | B-208 | B-308 |
| | | B-406 P | B-506 P | B-606 P |
| | Physics | B-116 | B-216 | B-316 |
| | | B-117 | B-217 | B-317 |
| | | B-118 | B-218 | B-318 |
| | | B-416 P | B-516 P | B-616 P |
| | Maths | B-126 | B-226 | B-326 |
| | | B-127 | B-227 | B-327 |
| | | B-128 | B-228 | B-328 |
| | | B-194 | B-294 | B-394 |
| | Statistics | B-195 | B-295 | B-395 |
| | | B-196 | B-296 | B-396 |
| | | B-494 P | B-594 P | B-694 P |
| | | B-145 | B-245 | B-345 |
| | Economics | B-146 | B-246 | B-346 |
| | | A-109 | A-209 | A-309 |
| | | A-110 | A-210 | A-310 |
| | | A-113 | A-213 | A-313 |
| | Hindi | A-114 | A-214 | A-314 |
| | | A-130 | A-230 | A-330 |
| | | A-131 | A-231 | A-331 |
| | | A-132 | A-232 | A-332 |
| | Sanskrit | A-133 | A-233 | A-333 |
| | | A-138 | A-238 | A-338 |
| | | A-139 | A-239 | A-339 |
| | | A-145 | A-245 | A-345 |
| | Economics | A-146 | A-246 | A-346 |
| | | A-185 | A-285 | A-385 |
| | | A-186 | A-286 | A-386 |
| | | A-187 | A-287 | A-387 |
| | Phy. Education | A-785 P | A-885 P | A-985 P |

B.Com Exam Code "C"

- Part-I - C - 101, 102, 103, 104, 105, 106
Part-II - C - 201, 202, 203, 204, 205, 206
Part-III - C - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 991 (Viva-Voce)

B.C.A. Exam Code "BCA"

- Semester-I - BCA - 101, 102, 103, 104, 105 (P), 106, 107(P), 008
Semester-II - BCA - 201, 202, 203, 204, 205, 206 (P)
Semester-III - BCA - 301, 302, 303, 304, 305, 306 (P), 307 (P)
Semester-IV - BCA - 401, 402, 403, 404, 405 (P), 406
Semester-V - BCA - 501, 502, 503, 504, 505 (P), 506 (P), 507 (P), 508 (P)
Semester-VI - BCA - 601, 602, 603, 604, 605 (P), 606 (P)

B.Ed. Exam Code "E"

YEAR - I

- (A) **Compulsory** : E-101 (CC1), E-102 (CC2), E-103 (CC3), E-104 (CC4)
(B) **Pedagogy Courses (PC 1 & PC 2)** :
(Any two school subject to be studied as pedagogy course)
E-201, E-202, E-203, E-204, E-205, E-206, E-207, E-208, E-209, E-210
(C) **Practical** : E-702 (EPC 1, EPC 2, EPC 3, CC 1-4), E-701 (PC 5).

YEAR - II

- (A) **Compulsory** : E-301 (CC5), E-302 (CC6), E-303 (CC7), E-401 (PC3)
(B) **PC 4: Optional Courses - Any one of the following**
E-501, E-502, E-503, E-504, E-505, E-506,
(C) **Practical** : E-704 (EPC 4, EPC 5, EPC 6, CC 5-7 & PC 3-4), E-703 (PC6)

M.A. Exam Code "G" Sanskrit (082)

- Semester I - G - 1082, 1083, 1084, 1085, 582 (Viva-Voce)
Semester II - G - 2082, 2083, 2084, 2085, 682 (Viva-Voce)
Semester III - G - 3082, 3083, 3084, 3085, 782 (Viva-Voce)
Semester IV - G - 4082, 4083, 4084, 4086, 882 (Viva-Voce)

M.Sc. Exam Code "H" Physics (027)

- Semester I - H - 1027, 1028, 1029, 1030, 527 (P)
Semester II - H - 2027, 2028, 2029, 2030, 627 (P)
Semester III - H - 3027, 3028, 7029, 7030, 727 (P)
Semester IV - H - 4027, 4028, 8027, 8030, 827 (P)

M.Sc. Exam Code "H" Chemistry (007)

- Semester I - H - 1007, 1008, 1009, 1010, 507 (P)
Semester II - H - 2007, 2008, 2009, 2010, 607 (P)
Semester III - H - 3007, 3008, 3009, 3010, 707 (P)
Semester IV - H - 4007, 4014, 4015, 4016, 807 (P)

FOUNDATION COURSES

| | Name of Paper | Code | M.M |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| प्रथम वर्ष | भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव | 009 | 100 |
| द्वितीय वर्ष | Language Communication & Writing Skills 1- Hindi 2- English 3- Sanskrit | 011 012 013 | 100 100 100 |
| तृतीय वर्ष | --- | --- | --- |

नोट:

1. फाउण्डेशन कोर्स बी0ए0, बी0एस-सी0 तथा बी0कॉम0 के विद्यार्थियों के लिए हैं।
2. तृतीय वर्ष में फाउण्डेशन कोर्स नहीं हैं।
3. द्वितीय वर्ष के फाउण्डेशन कोर्स (Language Communication & Writing Skills) में परीक्षार्थी हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत में से किसी भी एक विषय का चयन कर सकता है चाहे उसने मुख्य विषय के रूप में भी उक्त विषय लिया हो।
4. विगत वर्षों की भाँति फाउण्डेशन कोर्स के प्राप्तांक परीक्षार्थी की श्रेणी निर्धारण हेतु कुल प्राप्तांकों में जोड़े जायेंगे।

QUALIFYING COURSES

| | Name of Paper | Code | Th. | M.M. | Pra. |
|---------------------|--|------------|-----------|---------|------|
| प्रथम वर्ष | 1. Environmental Studies 2. Sports & Physical Education | 008 001 | 100 50 | - 50 | |
| द्वितीय वर्ष | 1. General Awareness 2. Sports & Physical Education | 010 002 | 100 50 | - 50 | |
| तृतीय वर्ष | 1. Sports & Physical Education | 003 | 50 | 50 | |

1. क्वालीफाईंग कोर्स बी0ए0, बी0एस-सी0 तथा बी0कॉम0 के तीनों वर्षों के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।
2. सभी वर्षों के क्वालीफाईंग कोर्स के प्राप्तांक कुल प्राप्तांकों में नहीं जोड़े जायेंगे।
क्वालीफाईंग कोर्स को केवल उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

नोट -

1. शासनादेश संख्या 2193/सत्तर-2-2004-16 (24)/2004 दिनांक 30.06.2004 तथा विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता - 1332 दिनांक 20.09.2004 एवं पत्रांक परीक्षा संस्थागत/248 दिनांक 04.10.2004 के सन्दर्भ में संस्थागत छात्रों के लिए सत्र 2004-05 से खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा का विषय स्नातक स्तर (बी0 ए0, बी0एस-सी0, बी0कॉम0) के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य है। छात्र लिखित एवं प्रायोगिक दोनों परीक्षायें पृथक-पृथक उत्तीर्ण करेगा। महाविद्यालय स्तर पर चयनित पाँच खेलों में से छात्र एक खेल का चयन कर, संबंधित कोड परीक्षा फार्म में अंकित करेगा। खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा विषय को तीनों वर्षों की परीक्षायें पृथकतः उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा तृतीय भाग तक उत्तीर्ण न कर पाने की स्थिति में छात्र अनुत्तीर्ण माना जायेगा।
2. विकलांग छात्रों द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र महाविद्यालय में जमा करने पर इस पाठ्यक्रम में छूट रहेगी।

अनुदानित पात्रकर्मी के लिए प्रवेश थल्क तालिका

शुल्क डिजिटल मोड वैकं इफट के पायम से जमा होगा। बैंक इफट 'प्राचार्य, डी.पी.बी.एस (पी.जी.) कॉलिज, अनण्णाहु' के पह में देय होगा।

| कक्षा | शिक्षण प्रवेश युक्ति | मह-युक्ति | पंजीयन कालय एवं शोधीतीन कालीन युक्ति | प्रीष्ठी क्रीड़ा वाच विकास निर्धारण युक्ति | ठात्र कलाप युक्ति | गृह विकिपीडिया परिवर्तन युक्ति | परिवास विकास युक्ति | सेवा युक्ति | छात्र सम्बन्ध सदस्यता युक्ति | टिप्पणी | देय कुल योग | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-----------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------|----------------------|-------------|----|----|----|----|----|-----|-----|--|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | उच्च विद्यालय युक्ति | कलाई युक्ति | | | | | | | | | | |
| M.A. | 180 | 3 | 42 | 10 | 18 | 36 | 100 | 18 | 36 | 5 | 3 | 5 | 12 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | 100 | M.A. I M.A. II | 643 568 | 8223 7448 |
| M.Sc. | 180 | 3 | 42 | 10 | 18 | 36 | 100 | 18 | 36 | 5 | 3 | 5 | 12 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | 100 | M.Sc. I M.Sc. II | 998 748 | 1178 9248 |
| B.A. | 132 | 3 | 42 | 5 | 18 | 36 | 100 | 12 | 36 | 5 | 3 | 5 | 12 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | 100 | B.A. I B.A. II & III | 597 557 | 7279 6849 |
| B.Sc. | 132 | 3 | 42 | 5 | 18 | 36 | 100 | 12 | 36 | 5 | 3 | 5 | 12 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | 100 | B.Sc.I(Lab 1) B.Sc.I(Lab 2) B.Sc. II & III (Lab 1) B.Sc. II & III (Lab 2) | 665 713 605 | 797 8445 737 653 785 |

一

2. M.Sc. (Chemistry), BCA, B.Ed. एवं B.Com. की शुल्क तालिका अलग है। शोध M.Sc. (Chemistry) में अतिविद्युत उपलब्ध है।

3. M.Sc. I, M.A.I, B.Sc.I व B.A.I में सुरक्षा निधि रुमासः ₹0 250/-, ₹0 75/-, ₹0 60/- एवं ₹0 40/- है।

4. M.Sc. में विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क ₹0 180/- एवं B.Sc. में विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क में एक तैब एवं दो तैब का क्रमासः 48/- एवं 96/- है।

5. कालिज छोड़ने के उपरान्त 1 वर्ष की अवधि छाती हो जाने के पश्चात विज्ञान / पुस्तक सुरक्षा निधि नहीं लौटायी जायेगी।

6. शुल्क दिन शिनिवार को छोड़कर प्रति 10.30 में दोपहर 1.00 बजे तक ही जमा किया जायेगा।

7. प्रथम वर्ष को छोड़कर सभी कालिज से आने वाले छात्र को (नवे प्रवेश में) सुरक्षा निधि अलग से देय होगी।

8. शुल्क पूर्ण रूपयों में जमा करें। रसीद तुरन्त प्राप्त कर लें।

9. शोधकर्ता से लिया जाने वाला शोध शुल्क ₹0 150/- प्रति माह।

10. निधिविद्युत शुल्क में वृद्धि प्रस्तावित है ग्रामसंचित ₹0 से संसोधन ग्राप होने पर शुल्क में परिवर्तन सम्भव है।

Fee Structure for Self Finance Course 2020-21

Fee can be deposited either by digital mode or via bank draft in favor of Principal D.P.B.S. (PG) College, Anoopshahr

| B.Ed (TWO YEAR DEGREE COURSE) | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|
| S.No. | FEES HEADS | FIRST YEAR | SECOND YEAR | |
| 1 | INTERIM FEES | 51250 | 30000 | |
| 2 | ADMISSION REGISTRATION FEES | 40 | 40 | |
| 3 | CAUTION MONEY (REFUNDABLE) | 1000 | 0 | |
| 4 | STUDENT UNION MEMB. FEES | 30 | 30 | |
| 5 | EXAM REGISTRATION FEES | 35 | 35 | |
| 6 | COLLEGE MAGAZINE FEES | 75 | 75 | |
| 7 | GENERATOR FEES | 600 | 600 | |
| 8 | DEGREE DISTRIBUTION FEES | - | 60 | |
| | TOTAL : | 53030 | 30840 | |

| BCA (THREE YEAR DEGREE COURSE) | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| S.No. | FEES HEADS | FIRST YEAR | SECOND YEAR | THIRD YEAR |
| 1 | TUITION FEES | 25000 | 25000 | 25000 |
| 2 | LAB FEES (COMPUTER) | 2000 | 2000 | 1000 |
| 3 | LIBRARY FEES (BOOKS & JOURNALS) | 1500 | 1500 | 1000 |
| 4 | DEVELOPMENT FEES | 4000 | 4000 | 2000 |
| 5 | ACADEMIC ACTIVITIES FEES | 2000 | 2000 | 1000 |
| 6 | SPORTS ACTIVITIES & OTHER FEES | 1000 | 1000 | 500 |
| 7 | CAUTION MONEY (REFUNDABLE) | 2000 | - | - |
| 8 | ADMISSION REGISTRATION FEES | 40 | 40 | 40 |
| 10 | EXAM REGISTRATION FEES (TWO SEM.) | 70 | 70 | 70 |
| 11 | STUDENT UNION MEMB. FEES | 30 | 30 | 30 |
| 12 | COLLEGE MAGAZINE FEES | 75 | 75 | 75 |
| 13 | GENERATOR FEES | 600 | 600 | 600 |
| | DEGREE DISTRIBUTION FEES | - | - | 60 |
| | TOTAL : | 38315 | 36315 | 36375 |

| B.COM (THREE YEAR DEGREE COURSE) | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| S.No. | FEES HEADS | FIRST YEAR | SECOND YEAR | THIRD YEAR |
| 1 | TUITION FEES | 7500 | 7500 | 7500 |
| 2 | ADMISSION REGISTRATION FEES | 40 | 40 | 40 |
| 3 | CAUTION MONEY (REFUNDABLE) | 1000 | - | - |
| 4 | GAMES FEES | 40 | 40 | 40 |
| 5 | COLLEGE MAGAZINE FEES | 75 | 75 | 75 |
| 6 | GENERATOR FEES | 600 | 600 | 600 |
| 7 | EXAM REGISTRATION FEES | 35 | 35 | 35 |
| 8 | STUDENT UNION MEMB. FEES | 30 | 30 | 30 |
| 9 | DEGREE DISTRIBUTION FEES | - | - | 60 |
| | TOTAL : | 9320 | 36315 | 8380 |

DURGA PRASAD BALJEET SINGH (PG) COLLEGE, ANOOPSHAHR
FEE STRUCTURE FOR SFS COURSE (2020-21)
M.SC (CHEMISTRY) TWO YEAR COURSE)

| S.No. | FEES HEADS | FIRST YEAR | SECOND YEAR | SINGLE SUBJECT/ |
|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | TUITION FEES | 9000 | 9000 | 3000 |
| 2 | LAB FEES | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3 | GAMES FEES | 500 | 500 | 500 |
| 4 | DEARNESS FEES | 240 | 240 | 240 |
| 5 | DEVELOPMENT FEES | 36 | 36 | 36 |
| 6 | ADMISSION REGISTRATION FEES | 40 | 40 | 40 |
| 7 | LIBRARY FEE | 36 | 36 | 36 |
| 8 | READING FEE | 18 | 18 | 18 |
| 9 | STUDENT HELP FEES | 5 | 5 | 5 |
| 10 | IDNIDENTY CARD FEES | 5 | 5 | 5 |
| 11 | STUDENT WELFARE FEES | 5 | 5 | 5 |
| 12 | MEDICAL FEES | 12 | 12 | 12 |
| 13 | COLLEGE DAY FEES | 15 | 15 | 15 |
| 14 | INTERNET FEES | 20 | 20 | 20 |
| 15 | CAUTION MONEY (REFUNDABLE) | 1000 | - | - |
| 16 | SERVICE PLAN CONSULTING UNIT FEES | 10 | 10 | 10 |
| 17 | STUDENT UNION MEMB. FEES | 30 | 30 | 30 |
| 18 | COLLEGE MAGAZINE FEES | 75 | 75 | 75 |
| 19 | GENERATOR FEES | 600 | 600 | 600 |
| 20 | DEGREE DISTRIBUTION FEES | - | 60 | - |
| 21 | EXAM REGISTRATION FEES (TWO SEM) | 70 | 70 | 70 |
| | TOTAL: | 13717 | 12777 | 12777 |

DECLARATION BY THE STUDENT

1. I _____ S/o, d/o Mr. / Mrs. _____, having been admitted to Class _____ D.P.B.S. (P.G.) College, Anoopshahr, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby solemnly aver and undertake that :
 - (a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - (b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
6. I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Date :

Signature of Student

Name : Add :
..... Mobile No. :

DECLARATION BY PARENT / GUARDIAN

1. I Mr. / Mrs. _____ father/mother/guardian of _____ having been admitted to Class _____ D.P.B.S. (P.G.) College, Anoopshahr, having received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he / she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby solemnly aver and undertake that :
 - (a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - (b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.
6. I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Date :

Signature of Student

Name : Add :
..... Mobile No. :

दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अनूपशहर, बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) सत्र 2020-2021

क्रमांक ७८४

अनुशासन विभाग



कक्षा

पार्ट

1. छात्र/छात्रा का नाम
2. पिता का नाम माता का नाम
3. संरक्षक का नाम
4. पता
5. जन्म-तिथि जाति
6. विषय 1. 2. 3.
4. 5.

नवीनम
फोटो

नोट : विद्यार्थी उक्त फार्म को पूर्णरूप से भरकर प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करें।

विद्यार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि सम्बद्धित विषयों के प्रबन्धना की व्याख्यान पंजिका पर हस्ताक्षर कर प्रतिमाह हर विषय में स्वयं की उपस्थिति की जानकारी करता/करती रहूँगा/रहूँगी और अपने अभिभावक को इससे अवगत कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

मैं प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करूँगा/करूँगी तथा महाविद्यालय में निर्धारित गणवेश में ही आऊंगा/आऊंगी।

दिनांक

अभिभावक के हस्ताक्षर

विद्यार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर



Durga Prasad Baljeet Singh (P.G.) College Form No.

ANOOP SHAHR (Bulandshahr) U.P.-203390
Form for admission to Regular/Self Financing Courses

Session 20

Form No.

Admission No.

CLASS..... **SUBJECT (1).....** **(2).....** **(3).....** **(4).....** **(5).....**

Instructions :

1. Read the admission related information carefully before filling the admission form.
 2. Use the black/blue pen for filling the form.
 3. Tick the relevant boxes. Write within boxes and the details such as name, subject, class, address etc. in capital letters.
 4. Keep record of university password. Retain photocopy of Registration & admission form.

University Registration No.

A horizontal row of ten empty square boxes, intended for children to write their names in.

Only for college office use

Fee Receipt No.

Date _____

Sign. of Clerk

- Name of the Candidate (IN BLOCK LETTERS) (do not write Shri / Smt. / Km. / Ms. / Dr. etc.)**

A horizontal row of 20 empty square boxes for writing responses.

- 2. Father's Name (IN BLOCK LETTERS)**

A horizontal row of 20 empty square boxes for writing responses.

- 3. Mother's Name (IN BLOCK LETTERS)**

- 4. Date of Birth**

- ## 5. Nationality

| 6. Sex | 7. Category | 8. Sub-Category | 9. Original Resident of | 10. Guardian's |
|--------|--|--|---|--|
| Male | Gen* <input type="checkbox"/> ST* <input type="checkbox"/> SC* <input type="checkbox"/> OBC* <input type="checkbox"/> | PH* <input type="checkbox"/> Ex.Ser/DEP* <input type="checkbox"/> DEP FF* <input type="checkbox"/> | UP <input type="checkbox"/> State other than UP <input type="checkbox"/> | (a) Occupation (b) Income (per annum) Rs..... |
| Female | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

- 11. Address (IN BLOCK LETTERS)**

| | | |
|--|--|--|
| Permanent Address | Address for Correspondence | Space for self attested Photograph |
| | | Do not Pin or Staple |
| Pin <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Pin <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Paste recent clear Passport size photograph |
| Phone..... Mob. | E-mail : Phone..... Mob. | 12. Signature of Candidate |

- ### 13. Weightages Claimed :

*Gen : General; SC : Schedule Caste; ST : Schedule Tribe; OBC : Other Backward Class; PH : Physically Handicapped;
Ex-Ser/Dep : Ex Service man / Dependent; Dep F.F. : Dependent of Freedom Fighter.

14. Academic Record :

| Examination Passed | Year | Div. | % | Subjects Taken | School/College | Board/University |
|--------------------|------|------|---|----------------|----------------|------------------|
| High School | | | | | | |
| Intermediate | | | | | | |
| B.A./B.Sc./B.Com. | | | | | | |
| M.A./M.Sc./M.Com. | | | | | | |
| Others | | | | | | |

15. Whether you were punished for any offence / unfair means committed by you in the previously attended or the present institution.

If yes, give details.....

16. If the result of the qualifying examination is not yet declared, submit a certificate from the Head of the institution to the effect that the candidate has appeared in all theory / practical papers of the qualifying examination.

17. Hostel Facility Required Yes No
(Note : Number of Accommodation in hostel is limited.)

Undertaking

- I shall always obey in letter and spirit the rules and regulations formulated by the university and the College and shall be personally responsible for obeying the same.
- That I shall not indulge in any activity that comes under indiscipline nor shall be involved in any action that has been declared against the conduct rules.
- That at no stage I shall be involved in ragging and shall also cooperate in reporting any such matter to authorities if I come to know about this.
- That I shall be personally responsible to complete my assignments and submit them in time for assessment and evaluation.
- That I shall ensure that I am regular & punctual in my classes and attempt to complete 100% attendance but not less than 75% under any circumstance.
- That I am at present not a student of any other College / University and shall not be appearing at any other examination leading to a degree.

I have read the above points carefully and shall be responsible for following them.

I hereby declare that the information given in this application form is true to best of my knowledge and belief. In case any information is found untrue, the university / College can cancel my Admission; for that no claim for refund of fee would be raised by me nor challenge in any court of law.

Dated :

Signature of Parents / Guardian

Signature of Student

Note :

- No other person is allowed to sign on behalf of the applicant.
- The applicant is required to enclose self attested photocopy of every relevant information related to academic record, age, reserved category, weightage(s), etc.
- The applicant is also required to enclose any identify proof such as photocopy of I Card / Exam Admit Card of last exam passed / D.L. / Pan Card / Bank Account Pass Book with photo.

Enclosures : 1- 2- 3-
 4- 5- 6-
 7- 8- 9-

For Admission Committee / Official Purpose :

- Merit..... Category : Gen / OBC / SC / ST
- Weightage/s
- Remarks, if any.....

Checker's Signature

Signature of Admission Incharge

Durga Prasad Baljeet Singh (P.G.) College
ANOOPSHAHAR (Bulandshahr) U.P.-203390
Student's Detail

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|----|----|----|
| 1. Name of Course | Year/Sem. | | | | |
| 2. Subjects | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 3. Date of Admission | | | | | |
| 4. Admission Year | <u>July 2019-June 2020/ July 2020 – June 2021/</u> | | | | |
| 5. Current Academic Year | <u>July 2020- June 2021</u> | | | | |
| 6. University Enrolment No. | M | | | | |
| 7. Student's First Name | | | | | |
| 8. Student's Last Name | | | | | |
| 9. Mother's Name | | | | | |
| 10. Father's Name | | | | | |
| 11. Date of Birth | | | | | |
| 12. Gender | | | | | |
| 13. Category | Gen | OBC | SC | ST | PH |
| 14. Religion | <u>Hinduism/Islam/Christian/Buddhism/Jainism/Sikhism/Others</u> | | | | |
| 15. Nationality | <u>Indian/Others</u> | | | | |
| 16. Address & Contact No. | | | | | |
| 17. Aadhar Number | | | | | |
| 18. Bank Name with Address | | | | | |
| 19. IFSC Code | | | | | |
| 20. Bank Account Number | | | | | |

Full Signature of Student

Full Signature of Parents/Guardians

Enclosures : 1. Photo copy of Aadhar Card
2. Photo copy of Bank Passbook

Date





मूल्य : 100 रुपये